

## अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10

### उद्देश्य :-

अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिससे शिक्षा निरंतर जारी रहे।

### प्रावधान :-

कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं 10 माह हेतु 200-300 रूपये एवं कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्र को 600 एवं छात्रा को 800 रूपये देने का प्रावधान है।

### कौन लाभ ले सकता है?

कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्रा

### योजना का लाभ कैसे ले :- जैसे -

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. किससे संपर्क करें।                  | संस्था प्रमुख प्रधान पाठक   |
| 2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें। | संस्था से                   |
| 3. आवेदन करने का तरीका ।               | निर्धारित आवेदन प्रारूप में |
| 4. आवश्यक दस्तावेज।                    | जाति प्रमाण पत्र।           |

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास डिण्डौरी  
जिला डिण्डौरी